सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1579 / सो.आ.नि–3/562 / 2025
दिनाँक: 29 जनवरी, 2026

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः– सोशल ऑडिट में पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सामाजिक लेखापरीक्षा पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक अत्यन्त प्रभावी माध्यम है। सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट की कार्यवाही सम्पन्न कराई जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 10 माह की समयावधि पूर्ण हो गई है। साथ ही प्रदेश के लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट भी पूर्ण कर लिया गया है। अबतक सम्पन्न सोशल ऑडिट के प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं अनुश्रवण विभिन्न माध्यमों से किया गया एवं अनवरत किया जा रहा है। राज्य स्तर पर जनपदों के अधिकारियों एवं कार्मिकों की बैठकें भी की गई। डी0डी0यू0 एस०आई०आर०डी०, आर०आई०आर०डी० एवं डी०आई०आर०डी० के माध्यम से कार्मिकों का प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एन०आई०आर०डी० पी0आर0, हैदराबाद द्वारा भारत सरकार के माध्यम से भी समय–समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जा रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से गुणवत्ता के सुधार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

इस परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों की कार्यक्षमता, दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता में सुधार किये जाने की दृष्टि से कतिपय मानक (Parameters) सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर जनपदों के जिला विकास अधिकारी, जिला सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर एवं विकास खण्डों के ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर्स व ब्लाक रिसोर्स पर्सन्स की रैंकिंग तैयार की जायेगी। जिनकी रैंकिंग अपेक्षित स्तर से नीचे होगी उनकी क्षमता में वृद्धि एवं प्रक्रियात्मक सुधार हेतु प्रयास किये जायेंगे तथा किये गये प्रयासों के पश्चात भी जिन कार्मिकों द्वारा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किए जाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, उनके विरूद्ध सक्षम स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य होगा। अनुश्रवण, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुधार हेतु निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित किये गये हैः–

1– सम्पन्न सोशल ऑडिट की मनरेगा वेबसाइट पर समयान्तर्गत एम०आई०एस० फीडिंग की स्थिति।

2– वेबसाइट पर अपलोड एम०आई०एस० की गुणवत्ता की स्थिति।

3– सम्पन्न सोशल ऑडिट की एम०पी०आर० का प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रेषण की स्थिति।

4– सम्पन्न सोशल ऑडिट के अपलोडेड प्रकरण एवं उसके सापेक्ष अपलोडेड ए०टी०आर० के क्लोजर की प्रति माह प्रगति की स्थिति।

5– सम्पन्न सोशल ऑडिट बैठक के कार्यवृत्त का सोशल ऑडिट ग्राम सभा तिथि को निदेशालय की ई–मेल पर प्रेषण की स्थिति।

6– ई०पी०एफ० जमा करने हेतु सम्बन्धित कार्मिकों की उपस्थिति का जनपद स्तर से प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रेषण की स्थिति।

7– मिशन कर्मयोगी पर आनबोर्ड कार्मिकों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की पूर्ण किये जाने की स्थिति।

8– ई–ऑफिस की प्रगति।

9– पंचायत निर्णय ऐप की प्रगति।

10– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की स्थिति।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला विकास अधिकारी एवं जिला सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर को आवश्यक दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि सोशल ऑडिट के प्रति जिन अधिकारियों, कार्मिकों का नकारात्मक रवैया है तथा गैर जिम्मेदारी पूर्ण आचरण है, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
Kamlesh Kumar
Date: 29-01-2026
11:41:15
(कमलेश कुमार)
निदेशक